04-01-2018

कार्यालयीन कार्य विभाजन ओदश कमांक–/क्यू/दो–12–01/90 पन्ना दिनांक– 08 दिसम्बर, 2017 के पालन में यह प्रतिभूति प्रकरण स्वमेव अंतरित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदक/अभियुक्त जलील खां की ओर से श्री जे0के0राव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य द्वारा श्री किशोर श्रीवास्तव लोक अभियोजक उपस्थित।

जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त जलील खान की ओर से उसके चचेरे **भाई नौसाद अली** ने इस आशय का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया कि प्रथम नियमित जमानत आवेदन विवेचना पूर्ण होने एवं अभियोग–पत्र प्रस्तुति के पूर्व प्रस्तुत किया गया था जो निरस्त हो चुका है। इसके पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष विविध आपराधिक प्रकरण कमांक–15970/2017 प्रस्तुत किया गया था, किन्तु बल न देने के कारण उक्त प्रकरण दिनांक 06.11.2017 को वापस ले लिया गया, आवेदन गुण–दोष पर निराकृत नहीं हुआ। यह अभियुक्त का **द्वितीय** नियमित जमानत आवेदन है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत आवेदन सत्र न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया और न ही लंबित है और न ही निराकृत हुआ है। इस तथ्य की पुष्टि विद्वान अभिभाषक श्री जे0के0राव के द्वारा भी तर्क के दौरान की गई है।

जमानत आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के तर्क श्रवण किये गये।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रकरण की विवेचना पूर्ण की जाकर अभियोग–पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। उसके आधिपत्य से कोई आपत्तिजनक विस्फोटक बरामद नहीं हुआ। आवेदक

Scanned by TapScanner

of ...er or ...eeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	लम्बी अवधि से जेल में निरूद्ध है एवं प्रकरण के निराकरण में विलम्ब लगने की सम्भावना है। उसका प्रथम नियमित जमानत आवेदन–पत्र अभियोग–पत्र प्रस्तुत होने के पूर्व एवं विवेचना समाप्त होने के पूर्व प्रस्तुत किया गया था। यह द्वितीय जमानत आवेदन अभियोग–पत्र प्रस्तुति उपरांत प्रस्तुत किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत जमानत आवेदन बल न देने के आधार पर दिनांक 06.11.2017 को वापस ले लिया गया। उक्त आवेदन गुण–दोष के आधार पर निराकृत नहीं हुआ। वह वार्ड नम्बर–7 बिरजावाडी थाना सारंगपुर जिला राजगढ़ का मूल निवासी है, जहां उसकी चल–अचल सम्पत्ति स्थित है जिससे उसके भागने या फरार होने की सम्भावना नहीं है। उक्त आधारों पर जमानत का लाभ प्रदान किये जाने का निवेदन किया है। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का गम्भीर विरोध करते हुये निवेदन किया गया है कि मात्र अभियोग–पत्र प्रस्तुत हो जाना प्रकरण की परिस्थितियों में तब्दीली नहीं माना जा सकता। अतः आवेदन निरस्त किये जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के परिशीलन से प्रकट होता है कि दिनांक 14.07.2017 को थाना अमानगंज में पदस्थ उपनिरीक्षक एम0के0 पाण्डे को दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर वह शासकीय वाहन से मय हमराह स्टाफ एवं गवाहान के साथ घटना स्थल की ओर रवाना हुआ जहां उसे रक्कू ढावा के आगे पप्पू भरभूंजा की अहरी बाबा हार के पास रोड किनारे एक ट्रक क्रमांक–एम0पी009 / एचजी –3414 खड़ा मिला। मौके पर सौरभ तिवारी एवं अन्य लोग मिले। पुलिस को देखकर ट्रक चालक एवं अन्य तीन लोग भाग गये। उसने गवाहान और हमराह स्टाफ के साथ त्रिपाल व लकड़ी के पटियों के	

Scanned by TapScanner

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

बीच से देंखा तो ट्रक में डबल स्टोरी में मवेशी गाये एवं बछड़े ठूंस–ठूंस कर रस्सी से पैर एवं गर्दन से बंधे 15 नग गाय एवं 25 लोड पाये गये। ट्रक को चैक करने पर ट्रक के उपरी भाग केबिन में कत्थई रंग की पोलीथिन उसके अंदर हरे रंग की एवं उसके अंदर बैगनी रंग की पोलीथिन में लगभग 1 किलोग्राम काले रंग की **बारूद** जो उसने स्वयं सूंघ कर एवं गवाहान द्वारा बारूद होना बताये जाने पर अभियुक्त/चालक एवं उसके तीन अन्य साथियों के विरूद्ध म0प्र0 गौ वंश वध प्रतिषेध अधिनियम एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही कर अपराध कमांक–235/17 पंजीबद्ध किया गया।

अभिलेख के परिशीलन से प्रकट होता है कि पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09. 2017 को अभियुक्त का प्रथम नियमित जमानत आवेदन गुण–दोष के आधार पर विचारोपरांत निरस्त किया जा चुका है एवं अभियोग–पत्र प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् यह द्वितीय जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **सतीश जग्गी विरूद्ध छत्तीसगढ राज्य 2007 कि0ला0ज0 2766** के मामले में यह प्रतिपादित किया है कि एक अभियुक्त, जिसकी जमानत आवेदन पत्र पूर्वतन प्रकम पर गुण–दोषों पर निरस्त हुआ है, उसके द्वारा पश्चातवर्ती प्रकम पर अभियोजन साक्षियों के पक्षद्रोही होने अथवा अभियोजन का समर्थन नहीं करने के आधार पर जमानत के लिए प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं होगा। उपर्युक्त मामले में साक्षियों के पक्षद्रोही हो जाने के आधार पर उच्च न्यायालय के द्वारा दी गई जमानत के आदेश को अपास्त करते हुए मान0 उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि जमानत देने के प्रकम पर न्यायालय द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षियों की सत्यता एवं विश्वसनीयता का परीक्षण केवल गुण–दोष पर निर्णय के समय किया जा सकता है एवं जमानत के समय साक्ष्य का विवेचन परोक्ष रूप से मामले के गुण–दोष पर न्यायालय का अभिमत प्रकट करने जैसा होगा।

उपरोक्त न्यायदृष्टांत में अभिनिर्धारित मत के

Scanned by TapScanner

परिप्रेक्ष्य में मात्र अभियोग–पत्र प्रस्तुत होना प्रकरण की परिस्थितियों में तब्दीली नहीं माना जा सकता एवं अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाना स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन किये जाने के समान होगा।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त का द्वितीय नियमित जमानत आवेदन स्वीकार कर उसे जमानत का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अभियुक्त जलील खान द्वारा प्रस्तुत **"द्वितीय जमानत आवेदन"** अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य न होने से विचारोपरांत **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को वापस हो।

प्रकरण का परिणाम अंकित कर जमानत आवेदन पत्रावली अभिलेखागार भेजा जावे।

अनुराग द्विवेदी
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
पन्ना म0प्र0

Scanned by TapScanner